

कार्यालय  
राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

कमाक.पं013(21)चिस्वा/2/07/43

जयपुर, दिनांक: 13-4-10

मिशन निदेशक,  
एन.आर.एच.एम.,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0जयपुर।

विषय:-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में संविदा पर कार्यरत मेडिकल  
ऑफीसर आयुष, मेडिकल ऑफीसर आयुष(एम.डी.) / डिस्ट्रीक्ट  
कॉर्डिनेटर तथा कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स / कम्पाउण्डर के मासिक  
मानदेय में वृद्धि बाबत।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन  
में संविदा पर कार्यरत मेडिकल ऑफीसर आयुष, मेडिकल ऑफीसर आयुष(एम.डी.) / डिस्ट्रीक्ट  
कॉर्डिनेटर तथा कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स / कम्पाउण्डर के मासिक मानदेय में दिनांक 01.04.2010  
से निम्नानुसार वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क.सं.	पदनाम	वर्तमान मानदेय रू0	दि0 01.04.2010 से मानदेय की दर रू0
1.	मेडिकल ऑफीसर आयुष	8000 /-	16,800 /-
2.	मेडिकल ऑफीसर आयुष (एम.डी.) / डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर	15,000 /-	16,800 /-
3.	कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स / कम्पाउण्डर	4,500 /-	7,500 /-

उक्त स्वीकृति वित्त(नियम)विभाग की आई.डी.संख्या: 101000922 दिनांक 25.3.2010 से  
प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

  
12/4/10  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
- 2-निजी सचिव, मा0 चिकित्सा मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग
- 3-निजी सचिव, मा0 चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
- 4-निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 5-महालेखाकार, राज0जयपुर।
- 6-निदेशक (जन स्वा / प0क0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0जयपुर।
- 7-विशेषाधिकारी, वित्त(नियम) विभाग।
- 8-एकल पत्रावली
- 9-रक्षित पत्रावली

लेखाधिकारी